न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश परासिया, जिला छिंदवाड़ा(म.प्र.)
(समक्ष : गौतम कुमार गुजरे)

Registration No.- B.A.- 86/2026

Filing No.-1499/2026

CNR No.-MP2805-001807-2026

Registration Date-31-07-2026

शेख सलीम पिता शेख रसीद, उम्र 40 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 1 डोंगर परासिया, थाना/तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)	आवेदक/ अभियुक्त
विरूद्ध	
म0प्र0राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र परासिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)	अनावेदक/ अभियोजन

13–08–2026

आवेदक/अभियुक्त द्वारा श्री सलीम कुरैशी अधिवक्ता।
राज्य द्वारा एडीपीओ/विशेष लोक अभियोजक श्री आर.के. अतुलकर।

इस न्यायालय के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 16/26, शासन वि0 शेख सलीम, धारा–64(2)(f), 65(2) बी.एन.एस. एवं धारा 3(ग)/4, 5(m)(n)/6 पॉक्सो एक्ट के अभिलेख प्राप्त।

उभयपक्ष को सुना गया।

इस आदेश द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन पत्र धारा–483 भा0ना0सु0सं0 का निराकरण किया जा रहा है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एम.सी.आर.सी. क्र. 8227/2023 में पारित आदेशानुसार विवरण		
क्र.	विवरण	जानकारी
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक	199/2026
2	प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन तिथि	24.05.2026
3	आरक्षी केन्द्र	परासिया
4	अपराध की धारायें	64(2)(f), 65(2) बी.एन.एस. एवं धारा 3(ग)/4, 5(m)(n)/6 पॉक्सो एक्ट
5	आरोपी की गिरफ्तारी की तिथि	25.05.2026

6	अभियोग पत्र प्रस्तुति की तिथि	14.07.2026
7	दांडिक या सत्र प्रकरण क्रमांक	वि.स.प्र.क्र. 16/2026
8	रिमाण्ड न्यायालय का नाम	अपर सत्र न्यायाधीश परासिया
9	आवेदक के अनुसार जमानत आवेदन का क्रम क्या है ?	प्रथम नियमित प्रतिभूति

आवेदन का सार यह है कि अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। वह पीड़िता का सगा बड़े पिता है तथा पीड़िता के पिता एवं वह दोनों सगे भाई होकर अपने परिवार माता–पिता के साथ संयुक्त परिवार में निवास करते है। पीड़िता की मां शादी के बाद से ही अपने पति से परिवार से अलग रहने की बात को लेकर लड़ायी झगड़ा करते रहती थी तथा झूठे अपराध में फंसाने की धमकी देती थी। वह लड़ायी झगड़ा कर अपने मायके दिनांक 21.05.2026 को सुबह 8 बजे छिन्दवाड़ा चली गयी थी और दिनांक 22.05.2026 को शाम 8:30 बजे अपने ससुराल आ गयी तथा आकर रात में बिना किसी कारण के अपने पति, जेठ, जेठानी से लड़ायी झगड़ा की। सुबह 10–11 बजे पीड़िता के पिता अपने काम से गैरेज चले गये, घर पर अभियुक्त, उसके माता पिता एवं उसकी पत्नी–बच्चे सब उपस्थित थे, तभी पीड़िता की मां ने 112 डायल कर पुलिस को बुला ली और अपने पति को भी बुला ली तथा झूठी कहानी बनाकर अभियुक्त के विरूद्ध झूठी शिकायत दर्ज करा दी। अभियोजन कहानी पूर्णतः झूठी, बनावटी एवं आपसी पारिवारिक रंजिश को लेकर झूठी दर्ज करायी गयी है। पीड़िता की डॉक्टरी परीक्षण रिपोर्ट में भी उसके साथ घटना हेने के संबंध में उल्लेख नहीं है। उसके भागने की कोई संभावना नहीं है। वह जमानत पर रिहा होना चाहता है जिस हेतु वह सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने एवं न्यायालय द्वारा लगायी जाने वाली जमानत की सभी शर्तों का पालन करने के लिए तत्पर है। अतः आवेदक को नियमित जमानत का लाभ दिया जावे।

आवेदन पत्र के साथ, यह आवेदन प्रथम जमानत आवेदन होने एवं इस आशय का अन्य कोई आवेदन पत्र इस न्यायालय में लंबित या माननीय उच्च न्यायालय में लंबित या निराकृत न होने संबंधी शेख शरीफ पिता शेख रसीद का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

राज्य की ओर से उपस्थित एडीपीओ/विशेष लोक अभियोजक ने विरोध करते हुए जमानत आवेदनपत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

तर्कों पर विचार किया गया। अभिलेख का परिशीलन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 16/26, शासन वि0 शेख सलीम धारा 64(2)(f), 65(2) बी.एन.एस. एवं धारा 3(ग)/4, 5(m)(n)/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रकरण लंबित है। अभियोजन प्रलेखों अनुसार उत्तरजीवी बालक की माता ने थाना परासिया में अपनी नाबालिग बेटी के साथ अभियुक्त शेख सलीम द्वारा गलत करने की शंका बाबत इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि कल दिनांक 23.05.2026 को उसके पति सबह करीब 10:30 बजे गैरेज चले गये थे, तब वह घर में अपने कमरे में कपड़े जमा रही थी, उस समय उसकी

बेटी उम्र 18 माह सामने हाल में खेल रही थी, करीब 10–15 मिनट बाद उसके जेठ सलीम ने उसे आवाज देकर बताये कि उसकी बेटी पानी खेल रही है, तब उसने पीछे जाकर देखी तो उसके जेठ वहीं खड़े थे और उसकी बेटी टब में पानी में बैठी हुई थी। फिर उसने अपनी बेटी को टब से उठायी और कमरे में ले जाकर उसके कपड़े बदल रही थी तब उसने देखी तो उसकी बेटी के बाथरूम वाली जगह से थोड़ा ब्लड निकल रहा था और वहां लाल पन दिख रहा था, तब उसने अपने पति को फोन लगाकर घर बुलायी और पति के साथ लड़की को ईलाज कराने परासिया अस्पताल लेकर गयी, जहां डॉक्टर ने उसकी बेटी का चेकअप की और बोली कि बच्ची को अकेले मत छोड़ा करो और दवायी दी थी और बोली कि बच्ची ठीक हो जायेगी। फिर वे लोग घर चले गये। उसे शंका है कि उसके जेठ सलीम ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया होगा और बच्ची रोने लगी होगी तो उसे उठाकर टब में बैठा दिये होंगे। परासिया सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने गायनिक मेडम से ईलाज कराने की सलाह देने पर उसने अपनी बेटी का चेकअप अस्पताल छिन्दवाड़ा में करवायी जिसके बाद उसे विश्वास हो गया कि उसके जेठ सलीम शेख ने उसकी बेटी के साथ गलत काम (बलात्कार) करने की कोशिश की थी। तत्पश्चात् आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध थाना परासिया के अपराध क्र. 199/26 में धारा–64(2)(f), 65(2) बी.एन.एस. एवं धारा 3(ग)/4, 5(m)(n)/6 पॉक्सो एक्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मामले में उत्तरजीवी बालक उसके छोटे भाई की पुत्री है, उसने उत्तरजीवी बालक के साथ कोई घ ाटना कारित नहीं की है, उसके विरूद्ध पारिवारिक विवाद के चलते झूठी रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है किंतु उक्त तथ्य साक्ष्य के अधीन है, इस स्तर पर साक्ष्य का विश्लेषण अपेक्षित नहीं है। मामले में उत्तरजीवी बालक की उम्र मात्र 18 माह होना दर्शित है। घटना के संबंध में उत्तरजीवी बालक की मां ने अपने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथनों तथा उसके पुलिस कथनों में कथन किये है। उत्तरजीवी बालक की चिकित्सकीय परीक्षण करने वाली गायनोलाजिस्ट ने भी अपनी रिपोर्ट में Redness present over babia majora, there might be attempt of penetration लेख किया है। संकलित साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आक्षेपित अपराध के दृढ़ आधार प्रकट होते है। अभियुक्त के विरूद्ध आक्षेपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। यदि अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है तो उसके द्वारा अभियोजन साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुये अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः अभियुक्त **शेख सलीम पिता शेख रसीद, उम्र 40 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 1 डोंगर परासिया, थाना/तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)** की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–483 भा0ना0सु0सं0 अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति संबंधित विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 16/26, शासन वि0 शेख सलीम, के मूल अभिलेख में संलग्न की जाये।

जमानत आवेदन का परिणाम दर्ज कर जमानत प्रपत्र अभिलेखागार में संचित किये जाये।

(गौतम कुमार गुजरे)
अपर सत्र न्यायाधीश परासिया,
जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

प्रतिलिपि :– विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 16/26, शासन वि0 शेख सलीम, के मूल अभिलेख में संलग्न किये जाने हेतु।

(गौतम कुमार गुजरे)
अपर सत्र न्यायाधीश परासिया,
जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

GAUTAM KUMAR GUJRE

Digitally signed by GAUTAM KUMAR GUJRE
Date: 2026.08.13 17:02:18 +0530